भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3902

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 / 16 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस बल में आपराधिक प्रवृति

3902# श्रीमती छाया वर्माः

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

चौधरी सुखराम सिंह यादवः

श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में पुलिस बल की आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्तता के मामले बढ़ रहे है;

(ख) क्या पुलिस बल में इस तरह की बढ़ती प्रवृति के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन करवाया गया है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश में कितने आईपीएस अधिकारी भगोड़े घोषित किए गए हैं, जिन्हें पकड़ने में पुलिस लगातार असफल सिद्ध हो रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची॥ (राज्य सूची) के तहत, पुलिस राज्य का विषय है। पुलिस बलों की आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्तता के मामलों को पंजीकृत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध आकड़ों (वर्ष 2020 तक) के अनुसार, वर्ष 2018 से 2020 तक की अवधि के दौरान, चार्जशीट किए गए मामलों की संख्या में गिरावट आई है।

(ग): उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान (वर्ष 2017 से 30.03.2022 तक), विभिन्न धाराओं के तहत 22 आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

(घ): उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी को भगोड़ा घोषित किया गया है।

*****